रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 1974/ज्येष्ठ 22, 1896

No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 1974/JYAISTHA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May 1974

G.S.R. 266(E).—Whereas in pursuance of clause (xx) of sub-section (3) of section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government has nominated Director, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur, as a member of the Central Insecticides Board *vice* Dr. S. H. Zaidi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading 'Members Nominated', against item (xvi), for the entry the following entry shall be substituted, namely:—

"Director, Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur."

[No. 19-1/73-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1974

सा० का० नि० 266(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (20) के अनुसरण में, डा० एस० एच० जैदी के स्थान पर निदेशक, केन्द्रीय लोक सेवा इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, 'नामनिर्देशित सदस्य', शीर्षक के नीचे, मद (16) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"निदेशक, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान नागपुर।"

[सं० 19–1/73–पी० पी० ए०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974